

LT-4839/73

(PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART II,
SECTION 3(1) AS G.S.R.No.58 DATED 20.1.1973)

....

NOTIFICATION

G.S.R. 58. In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Concession Rules, 1960, namely:-

1. (1) These rules may be called the Mineral Concession (Amendment) Rules, 1973.
(2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.
2. In the Mineral Concession Rules 1960,
(1) In the second proviso to clause (d) of sub-rule (2) of rule 9, after the words "does not hold"; the words "and has not held" shall be inserted;
(2) in the second proviso to sub-clause (d) of clause (i) of sub-rule (3) of rule 22, after the words "does not hold", the words "and has not held" shall be inserted.

(No.1/44/72-MVI)

To
The Manager,
Government of India Press,
New Delhi. (with Hindi Version).

Sd:- HARSHA GUPTA
Under Secretary to the Govt. of India.

(भारत के राजपत्र भाग II खण्ड 3(f) में तारीख 20 जनवरी, 1973 को प्रकाशित)

- - -

भारत सरकार
इस्पात और खान मंत्रालय
(खान विभाग)

- - - -

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 1973
15 पौष, 1894 (शक)

अधिसूचना

- - - -

साठ का० नि० 58 - खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार खनिज रियायत नियम, 1960 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्वारा बनाती है, अर्थात् :-

- 1- (1) इन नियमों का नाम खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 1973 होगा ।
(2) यह शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2- खनिज रियायत नियम, 1960 में :-

- (1) नियम 9 के उपनियम (2) के खण्ड (घ) के द्वितीय परन्तुक में "धारण नहीं करता है" शब्दों के पश्चात्

- - - = 2/-

“और धारित नहीं किया है” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(2) नियम 22 के उप नियम (3) के खण्ड (1) के उप खण्ड (घ) के द्वितीय परन्तुक में “धारण नहीं करता है” शब्दों के पश्चात् “और धारित नहीं किया है” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

(सं० 1/44/72-खान-6)

(हर्ष गुप्त)

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

नई दिल्ली ।

- - - - -